रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 28, 2016/बैशाख 8, 1938
No. 158] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 2016/VAISAKHA 8, 1938

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## अधिसूचना

मुम्बई, 21 अप्रैल, 2016

**सं. टीएएमपी/7/2016–एमबीपीटी.–** महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, स्टील कार्गो की स्टीवडोरिंग दर के लिए विशेष लेवी के निर्धारण हेतु मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## मामला सं. टीएएमपी/7/2016–एमबीपीटी

**मुम्बई पत्तन न्यास** ..... **आवेदक**

कोरम:

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(अप्रैल 2016 के 5वें दिन पारित)

यह मामला स्टील कार्गो की स्टीवडोरिंग दर के लिए विशेष लेवी निर्धारित करने के लिए मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए एमबीपीटी के दरमानों की अधिसूचना के लिए एक आदेश सं. टीएएमपी/23/2013–एमबीपीटी दिनांक 2 जनवरी 2015 पारित किया था। यह आदेश 19 जनवरी 2015 को राजपत्र सं. 19 द्वारा भारत का राजपत्र असाधारण (भाग III खंड 4) में अधिसूचित किया गया था।

2.2. इस प्राधिकरण ने पोत संबंधित प्रभारों, लाइसेंस शुल्कों तथा भंडारगृह प्रभारों के अलावा सभी प्रभारों में 23 प्रतिशत की वृद्धि प्रदान की थी। संशोधित दरमान भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख अर्थात् 18 फरवरी 2015 से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू हुई थी।

3.1. इस परिप्रेक्ष्य में, एमबीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 5 जनवरी 2016 द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए थे:

(i) टीएएमपी ने राजपत्र अधिसूचना सं. 19 दिनांक 19–01–2015 द्वारा एमबीपीटी के दरमान के संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान किया था जिसमें पोत संबंधित प्रभारों, लाइसेंस शुल्कों तथा स्टीवडोरिंग प्रभारों के अलावा सभी प्रभारों में 23 प्रतिशत वृद्धि शामिल की गई थी। संशोधित दरमान इसकी अधिसूचना की तारीख अर्थात् 19–01–2015 से 30 दिनों की समाप्ति के बाद 18–02–2015 को लागू हुआ था।

(ii) टीएएमपी ने कार्गो संबंधित प्रभारों में 23 प्रतिशत की समग्र वृद्धि लागू करते समय, दरमान के अध्याय III में खंड 2.18 में स्टीवडोरिंग प्रभारों को त्रुटिवश छोड़ दिया था। टीएएमपी ने अधिसूचित दरमान में इसे सही करते हुए एक शुद्धिपत्र दिनांक 15–05–2015 जारी किया था।

(iii) टीएएमपी द्वारा पारित उपर्युक्त शुद्धिपत्र के अनुवर्तन में, एमबीपीटी द्वारा ट्रेड को यह सूचित करते हुए एक परिपत्र दिनांक 05–06–2015 जारी किया गया था कि टीएएमपी द्वारा अनुमोदित दरें 18–02–2015 से लागू होंगी।

(iv) एमबीपीटी द्वारा परिपत्र दिनांक 05–06–2015 के जारी करने के बाद, वर्धित स्टीवडोरिंग प्रभारों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए जाने के बारे में ट्रेड से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(v) मुम्बई एंड न्हावा–शेवा शिप एजेंट्स एसोसिएशन (एमएएनएसए) ने पत्र दिनांक 03–06–2015 द्वारा टीएएमपी से अनुरोध किया था कि शुद्धिपत्र की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद शुद्धिपत्र दिनांक 15–05–2015 में अधिसूचित स्टीवडोरिंग प्रभारों लागू किए जाएं। उत्तर में, टीएएमपी ने पत्र सं. टीएएमपी/23/2013–एमबीपीटी दिनांक 15–06–2015 द्वारा एमएएनएसए के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था।

(vi) एमबीपीटी बोर्ड ने टीआर सं. 33 दिनांक 13–08–2015 द्वारा टीएएमपी के आदेश के आधार पर संशोधित स्टीवडोरिंग प्रभारों को 18–02–2015 से लागू किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया था।

(vii) एमएएनएसए को संशोधित स्टीवडोरिंग प्रभारों को लागू किए जाने की तारीख के बारे में पत्र सं. टीएम/डी/4–3/5875 दिनांक 4 सितम्बर 2015 द्वारा सूचित किया गया था और तदनुसार इस संबंध में बिल सृजित करना तथा देना शुरू कर दिया गया था।

(viii) इसी बीच, एमएएनएसए ने अध्यक्ष, मुम्बई पत्तन न्यास को संबोधित ईमेल पत्र सं. एमएएनएसए/एमबीपीटी/508/09–2015 दिनांक 5 सितम्बर 2015 द्वारा बताया था कि पूर्वव्यापी प्रभाव से स्टीवडोरिंग दरों में वृद्धि वसूल करना उनके सदस्यों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि पोत सामान्यतः ट्रैम्प आधार पर प्रचालित किए जाते हैं और नौचालन पूर्ण होने के बाद, इसे प्रचालकों/चार्टरों द्वारा स्वामियों को वापिस सुपुर्द कर दिया जाता है। चार्टर के पूर्ण होने के बाद, पोत खाते एजेंटों द्वारा उनके प्रिंसिपलों से निपटान किए जाते हैं, जो पोत स्वामियों से नौचालन लेखों के निपटान तथा पुनःसुपुर्दगी औपचारिकताओं को पूरा करते हैं। अतः, पूर्वव्यापी प्रभाव से स्टीवडोरिंग दर में वृद्धि वसूल करने से एमएएनएसए सदस्यों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि वे उनके प्रिंसिपलों से इन राशियों की वसूली करने में असमर्थ होंगे।

(ix) एमएएनएसए ने यह भी बताया है कि यदि दरें भावी प्रभाव से प्रभारित की जाती हैं तो एमबीपीटी को लगभग रु0 4.88 करोड़ का नुकसान होगा। राजस्व में इस नुकसान को गुड करने के लिए, एमएएनएसए ने स्टील कार्गो की स्टीवडोरिंग दर के लिए पृथक लेवी वसूल करने का प्रस्ताव किया है।

(x) एमएएनएसए ने अपने उपर्युक्त ईमेल में कहा था कि उनके अधिसूचना मामला सं. टीएएमपी/26/2001–एमबीपीटी दिनांक 19 सितम्बर 2001 द्वारा टीएएमपी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, ऐसी अतिरिक्त लेवी की वसूली एमबीपीटी द्वारा पूर्वकाल में 2001 में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई थी, जोकि पूर्वव्यापी प्रभाव से बीडीएलबी कामगारों की मजदूरी के संशोधन के बाद देय प्रोद्भूत बकायों की वसूली के लिए जरूरी था, तब से निजी स्टीवडोर उनके प्रिंसिपलों से वसूली में असमर्थ थे।

(xi) उपर्युक्त तथा पूर्व यातायात शर्तों पर विचार करते हुए, रु0 4.62 करोड़ की कम पड़ रही राशि की पूर्णतः वसूली होने तक की अवधि के लिए 10–01–2016 को अथवा उसके बाद बर्थिंग करने वाले पोतों के स्टील कार्गो पर संशोधित दरमान में निर्धारित स्टीवडोरिंग प्रभारों के अलावा रु0 21/– प्रति मीट्रिक टन तथा लागू सेवा कर वसूल करने का प्रस्ताव किया गया है। उपर्युक्त लेवी हेतु प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त है।

(xii) सभी संबद्ध उपयोक्ताओं को एमबीपीटी द्वारा परिपत्र दिनांक 19–12–2015 द्वारा सूचित किया गया है कि जब तक कम पड़ी राशि पूर्णतः वसूल नहीं कर ली जाती है उस अवधि के लिए 10–01–2016 को अथवा उसके बाद बर्थिंग करने वाले पोतों के स्टील कार्गो पर लागू सेवा कर तथा रु0 21/– प्रति मीट्रिक टन की वसूली की जाएगी।

(xiii) एमएएनएसए ने अपने पत्र दिनांक 17–12–2015 द्वारा अपनी सहमति दी थी। (एमबीपीटी ने एमएएनएसए से उसके द्वारा प्राप्त सहमति पत्र की प्रति भेजी थी)।

(xiv) अतः, टीएएमपी से अनुरोध है कि रु0 4.62 करोड़ की कम पड़ रही राशि की पूर्णतः वसूली होने तक की अवधि के लिए 10–01–2016 को अथवा उसके बाद बर्थिंग करने वाले पोतों के स्टील कार्गो पर संशोधित दरमान में निर्धारित स्टीवडोरिंग प्रभारों के अलावा 10–01–2016 से रु0 21/– प्रति मीट्रिक टन की वसूली अनुमोदित करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में पृथक लेखा व्यवस्थित किया जाएगा।

4. एमबीपीटी के प्रस्ताव की पावती देते समय, हमने हमारे पत्र दिनांक 14 जनवरी 2016 द्वारा एमबीपीटी से कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट करने का अनुरोध किया था। एमबीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 29 जनवरी 2016 द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिया था। हमारे द्वारा उठाए गए बिन्दुओं तथा उनपर एमबीपीटी के प्रत्युत्तर का सार नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं:–

| क्र.सं. | हमारे द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण | एमबीपीटी का प्रतिसाद |
|---|---|---|
| (i) | केवल स्टील कार्गो पर विशेष लेवी प्रस्तावित करने का कारण बताएं। | स्टील कार्गो एमबीपीटी में स्टीवडोरों द्वारा प्रहस्तित प्रमुख कार्गो है। वर्ष 2014–15 में स्टीवडोरों द्वारा प्रहस्तित कुल यातायात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 72 प्रतिशत है और 01–04–2015 से 31–08–2015 अवधि में, यह 84 प्रतिशत है। उपर्युक्त के मद्देनजर तथा तथा प्रशासनिक कारण से, लेवी केवल स्टील कार्गो पर प्रस्तावित की गई थी। |

| | | |
|---|---|---|
| (ii) | रु0 21/– प्रति मी.ट. की प्रस्तावित लेवी पर पहुंचने के लिए विस्तृत गणनाएं भेजें। | 01–04–2015 से 31–08–2015 तक अवधि के दौरान, एमबीपीटी स्टीवडोरों ने कुल कार्गो में से लौह तथा स्टील कार्गो का 22,31,015 मी.ट. प्रहस्तित किया था, अर्थात् औसतन 4,46,203 मी.ट. प्रति माह।<br>उपर्युक्त औसत लौह तथा स्टील कार्गो यातायात पर विचार करते हुए (जैसाकि 01–11–2015 से वसूल करने का प्रस्ताव किया गया है जब गणना की गई थी) 01–11–2015 से 31–03–2016 तक 5 महीनों में रु0 4.62 करोड़ की शेष राशि वसूल करने के लिए यह लेवी रु0 21 प्रति मी.ट. परिगणित होती है। |
| (iii) | एमबीपीटी के मौजूदा दरमानों में प्रस्तावित मसौदा दरमान शामिल करें। | ऊपर उल्लिखित लेवी अस्थायी प्रकृति की है और कम पड़ी राशि रु0 4.62 करोड़ के संग्रहण के बाद समाप्त हो जाएगी।<br>यदि इसे दरमान में शामिल किया जाता है। बोर्ड स्टीवडोरिंग सेवाओं पर उपलब्ध करवाने के लिए प्रभारों के 2.18 की अनुसूची के अधीन शामिल की जाने वाली प्रस्तावित मसौदा टिप्पणी निम्नलिखित हैः–<br>"रु0 21/– प्रति मीट्रिक टन की लेवी 10–01–2016 से दरमान में निर्धारित स्टीवडोरिंग प्रभारों के अलावा लौह तथा स्टील कार्गो पर वसूल की जाएगी"। |

5. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, एमबीपीटी प्रस्ताव दिनांक 05 जनवरी 2016 की प्रति संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित की गई थी। कुछ उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों ने अपनी टिप्पणियां भेजी थीं जिसे एमबीपीटी को विभिन्न तारीखों को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थीं। एमबीपीटी ने उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों की टिप्पणियों पर प्रतिसाद दिया था।

6.1. संदर्भित मामले पर संयुक्त सुनवाई 10 मार्च 2016 को इस प्राधिकरण के कार्यालय में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, एमबीपीटी ने प्रस्ताव पर एक संक्षिप्त पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया था। संयुक्त सुनवाई में, उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों तथा एमबीपीटी ने अपने निवेदन पेश किए थे।

6.2. संयुक्त सुनवाई में यथा निर्णीत, एमएएनएसए से हमारे पत्र दिनांक 15 मार्च 2016 द्वारा अनुरोध किया गया था कि विषय लेवी के लेखा पर एमबीपीटी के प्रति विरोध के अधीन इसके कुछ सदस्यों द्वारा भुगतान जारी किए जाने के संदर्भ में एक नोट एमबीपीटी को भेजे तथा उसकी एक प्रति हमें पृष्ठांकित करें। एमबीपीटी से हमारे पत्र दिनांक 15 मार्च 2016 द्वारा यह अनुरोध भी किया गया था कि एमएएनएसए द्वारा कही गई बातों पर अपनी टिप्पणियां भेजें।

6.3. तदनुसार, एमएएनएसए ने अपने पत्र दिनांक 16 मार्च 2016 द्वारा शिप एजेंटों द्वारा एमबीपीटी को उनके द्वारा भुगतान किए गए प्रभारों की वापसी के बारे में भेजे गए अनुरोध पत्रों की प्रतियां भी भेजी थीं। एमएएनएसए के पत्र से, यह देखा गया है कि 5 पक्षकारों ने रु0 55,71,804/– की कुल राशि के लिए एमबीपीटी को पत्र भेजे थे। अधिक ऐसे आवेदनों की लंबित प्राप्ति के मद्देनज़र, एमएएनएसए ने, तदनुसार वापसी के लिए उनके आवेदनों के अधीन, सभी शिप एजेंटों को सामान्य रूप से वापसी मंजूर करने के लिए भी अनुरोध किया था, ताकि एमबीपीटी सदस्यों द्वारा भूलवश अवसर खोने वाले कुछ सदस्यों की स्थिति में, स्वीकार्य वापसियों पर कार्यवाही कर सके।

6.4. इस संदर्भ में, अनुस्मारक के बाद, एमबीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 29 मार्च 2016 द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए थेः–

(क) वापसी जारी किए जाने की जांच की गई है और ऊपर उल्लिखित पत्र द्वारा एमएएनएसए द्वारा अग्रेषित अनुरोध के मामले में प्रारंभ में सेवा कर राशि के अलावा विभिन्न भुगतान वापसी के लिए आदेश जारी किए गए हैं। सेवा कर की वापसी सेवा कर प्राधिकरण से वापसी के बाद ही की जा सकती है।

(ख) अब कार्यवाही किए जा रहे वापसी की वजह से वसूल किया जाने वाला घाटा उस सीमा तक बढ़ गया है। घाटे की सटीक राशि का पता लेखापरीक्षा तथा वापसी की देय प्रक्रिया के बाद ही चलेगा। कुल वसूली होने तक लेवी जारी रहेगी।

(ग) अतः, टीएएमपी तत्काल उपयुक्त आदेश जारी करे और इसके बाद वापसी के अनुरोध पर विचार नहीं करने का अनुरोध भी किया है।

7. इस मामले में परामर्श से संबंधित कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों तथा संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजा जाएग। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

8. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती हैः–

(i) इस प्राधिकरण ने जनवरी 2015 के अपने आदेश में कार्गो संबंधित प्रभारों में 23 प्रतिशत की अक्रास द बोर्ड वृद्धि करने का निर्णय लिया था। उक्त आदेश द्वारा, स्टीवडोरिंग गतिविधि 23 प्रतिशत वृद्धि स्वीकृत करने के लिए शामिल की गई थी। अतः, एमबीपीटी के दरमानों में निर्धारित स्टीवडोरिंग प्रभारों में 23 प्रतिशत की वृद्धि दी गई है। तथापि, एमबीपीटी के दरमानों में, तत्समय प्रचलित पोत संबंधित प्रभारों में वृद्धि स्वीकार नहीं की गई थी और दिया गया था कि स्टीवडोरिंग प्रभार (खंड 2.18) पोत संबंधित प्रभारों से संबंधित अध्याय–II में निर्धारित किए गए थे, स्टीवडोरिंग प्रभारों से संबंधित प्रशुल्क प्रविष्टि चूकवश 23 प्रतिशत वृद्धि के साथ संशोधित नहीं किए गए थे। चूंकि दरमानों में प्रासंगिक प्रविष्टि जनवरी 2015 के आदेश में संशोधित नहीं की गई थी, इसलिए शुद्धिपत्र दिनांक 15 मई 2015 इस प्राधिकरण के निर्णय को लागू करने के लिए जारी किया गया था। यह शुद्धिपत्र 25 मई 2015 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

(ii) शुद्धिपत्र की अधिसूचना के पश्चात, मुम्बई एंड न्हावा–शेवा शिप एजेंट्स एसोसिएशन (एमएएनएसए), इस आधार पर कि पूर्वव्यापी प्रभाव से स्टीवडोरिंग दर में वृद्धि से इसके सदस्यों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि वे निपटान के बाद उनके प्रिंसिपलों से इन राशियों की वसूली करने में असमर्थ होंगे, एमबीपीटी से अनुरोध किया गया है कि शुद्धिपत्र को भावी प्रभाव से कार्यान्वित किया जाए। एमबीपीटी के राजस्व में हानि को ठीक करने के लिए, एमएएनएसए ने पृथक प्रभार की वसूली के लिए सहमति दी है।

(iii) तदनुसार, एमबीपीटी स्टील कार्गो पर संशोधित दरमानों में निर्धारित स्टीवडोरिंग प्रभारों के अलावा रु0 21/– प्रति मी.ट. की दर से वसूली कर सके इसके लिए प्रस्ताव लेकर आया है। साथ ही साथ, एमबीपीटी ने सभी उपयोक्ताओं को एक परिपत्र दिनांक 19 दिसम्बर 2015 जारी किया है कि रु0

21/– प्रति मी.ट. की लेवी तथा लागू सेवा कर तथा अधिभार कम पड़ी राशि को पूर्णतः वसूल किए जाने तक की अवधि के लिए 10 जनवरी 2016 को अथवा उसके बाद पोतों के स्टील कार्गो की बर्थिंग पर संशोधित दरमानों में निर्धारित स्टीवडोरिंग प्रभारों के अलावा वसूल किया जाएगा।

(iv) चूंकि स्टील कार्गो एमबीपीटी में स्टीवडोरों द्वारा प्रहस्तित किया जाने वाला प्रमुख कार्गो (लगभग 80 प्रतिशत) बताया गया है, एमबीपीटी ने प्रशासन के आराम के लिए केवल स्टील कार्गो पर पृथक लेवी अधिरोपित करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा, पूर्व संशोधित तथा वर्धित स्टीवडोरिंग प्रभारों, जोकि रु0 4.88 करोड़ बताए गए हैं, के बीच अन्तर के लेखा पर कम वसूली की मात्रा और स्टीवडोरों द्वारा प्रहसितत स्टील कार्गो के औसत मासिक यातायात तथा 5 महीनों की अवधि में राशि वसूली करने के प्रस्ताव द्वारा को लेखा में लेते हुए,एमबीपीटी रु0 21/– प्रति मी.ट. की प्रति टन दर पर पहुंचा है।

(v) हालांकि एमएएनएसए ने रु0 21/– प्रति मी.ट. की प्रस्तावित लेवी पर अपनी सहमति दी है, परन्तु अन्य उपयोक्ता एसोसिएशनों अर्थात् बृहन्मुम्बई कस्टम हाऊस एजेंट्स एसोसिएशन (बीसीएचएए) तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (एफआईईओ) ने इस आधार पर एमबीपीटी के प्रस्ताव पर आपत्ति उठाई थी कि प्रस्तावित लेवी पूर्वकाल के नुकसानों की वसूली करने के लिए पत्तन को समर्थ बनाना है। एफआईईओ ने इस प्राधिकरण से पूर्वव्यापी प्रभाव को हतोत्साहित करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में, यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एमबीपीटी की लागत स्थिति के आधार पर स्टीवडोरिंग प्रभारों में 23 प्रतिशत तक वृद्धि करने का निर्णय जनवरी 2015 आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा पहले ही लिया जा चुका था। दिनांक 19 जनवरी 2015 को अधिसूचित एमबीपीटी के दरमानों में शामिल किए गए स्टीवडोरिंग प्रभारों में वृद्धि एमबीपीटी के संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख अर्थात् 18 फरवरी 2015 से लागू होगी। उक्त शुद्धिपत्र द्वारा, दिनांक 19 जनवरी 2015 को अधिसूचित दरमानों में हुई चूक को दूर किया गया था। तथापि, उपयोक्ताओं द्वारा प्रभारों की वसूली पूर्वव्यापी प्रभाव से वसूल करने में असमर्थता के मद्देनजर, एमबीपीटी 23 प्रतिशत वर्धित स्टीवडोरिंग प्रभारों के गैर–निर्धारण की वजह से होने वाले राजस्व के नुकसान को सही करने के लिए सीमित अवधि हेतु भावी प्रभाव से पृथक प्रभारों की वसूली करने के लिए इसे समर्थ बनाने हेतु प्रस्ताव लेकर आया है। इस प्रकार, प्रस्तावित लेवी पत्तन को बीसीएचएए तथा एफआईईओ द्वारा यथा उल्लिखित उसके पूर्व नुकसानों की वसूली के लिए पत्तन को समर्थ बनाना नहीं है, अपितु एमबीपीटी को केवल वह राशि वसूल करने में समर्थ बनाना है जोकि सही प्रकार से उसकी ओर देय है, जैसाकि जनवरी 2015 में पारित सामान्य संशोधन आदेश में पहले ही निर्णीत किया जा चुका है।

साधारणतः, प्रशुल्क निर्धारण आदेश केवल भावी प्रभाव से लागू किए जाते हैं। ऐसे आदेशों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से, खातों में गड़बड़ी होने के अलावा (परिहार्य) मुश्किलें पैदा होंगी। अतः इस प्राधिकरण की उल्लिखित नीति, जैसाकि सरकार द्वारा जारी किए गए प्रशुल्क दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किया गया है, तब तक कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए जब तक उल्लिखित नीति से विपथन की मांग करने वाली विशेष परिस्थितियां नहीं हों।

(vi) जैसाकि एमबीपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव में बताया गया है, इस संदर्भ में पूर्वकाल में उदाहरण है, जिसमें इस प्राधिकरण ने प्रशुल्क आदेश सं. टीएएमपी/26/2001–एमबीपीटी दिनांक 19 सितम्बर 2001 द्वारा एमबीपीटी को स्टीवडोरों के पास जो प्रतिनियुक्ति पर थे उन एमबीपीटी के पर्यवेक्षण स्टाफ तथा कामगारों की मजदूरी के बकायों की वसूली के लिए एमबीपीटी को समर्थ बनाने के लिए 01 सितम्बर 2001 को अथवा उसके बाद बर्थ किए गए पोतों के लिए बोर्ड पर कार्गो की विशेष प्रकारों पर 'विशेष दर' वसूल करने के लिए एमबीपीटी को प्राधिकृत किया गया था। विशेष प्रभार के संबंध में एक पृथक निधि व्यवस्थित की जानी थी और यह लेवी उस समय तक जारी रखी जानी थी जब तक बकाया राशियों के भुगतान के लिए रु0 17.50 करोड़ की राशि वसूल नहीं कर ली जाती और इसके बाद यह समाप्त हो जाना था। अगस्त, 2003 में, एमबीपीटी ने सूचित किया था कि रु0 17.50 करोड़ की कुल राशि के संग्रहण पर, विशेष दरों की वसूली पत्तन उपयोक्ताओं को सूचित करते हुए समाप्त कर दी गई है।

(vii) इस प्रकार, पूर्वकाल में उपलब्ध उदाहरण लेते हुए, यह प्राधिकरण कम पड़ी राशि को पूर्णतः वसूल किए जाने तक की अवधि के लिए 10 जनवरी 2016 को अथवा उसके बाद बर्थिंग करने वाले पोतों के स्टील कार्गो पर संशोधित दरमानों में निर्धारित स्टीवडोरिंग प्रभारों के अलावा स्टील कार्गो पर रु0 21/– प्रति मी.ट. की पृथक दर वसूली किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रवृत्त है।

(viii) वसूल किए जाने वाली कम रही राशि के संबंध में, एमबीपीटी एवं एमएएनएसए ने लगभग रु0 4.88 करोड़ की राशि दर्शाई है। तत्पश्चात, संयुक्त सुनवाई के दौरान, एमएएनएसए ने प्रासंगिक उपयोक्ताओं को उक्त राशि की वापिसी के लिए अनुरोध के साथ विरोध अधीन एमबीपीटी को भुगतान करने वाले इसके कुछ सदस्यों के बारे में संकेत दिया था। विरोध अधीन एमबीपीटी को भुगतान करने वाले उपयोक्ताओं को एमबीपीटी द्वारा वापिसी देते हुए, एमबीपीटी ने अपने अद्यतन संप्रेषण में कहा है कि चूंकि वसूली की जाने वाली कम राशि उपयोक्ताओं को की गई वापसियों की सीमा तक बढ़ाया गया है, कम पड़ी सही राशि लेखापरीक्षा तथा वापिसी की देय प्रक्रिया के बाद ही ज्ञात होगी। इस स्थिति के मद्देनजर, एमबीपीटी ने दर्शाया है कि वसूली तब तक जारी रहेगी जब तक पूरी वसूली नहीं हो जाती है।

वसूल की जाने वाली कोई विशेष लेवी उस निश्चित अवधि के लिए निर्धारित की जानी चाहिए जब तक प्रयोजन जिसके लिए विशेष लेवी निर्धारित की गई हो, अर्जित की गई है। संदर्भित मामले में, विशेष लेवी का प्रयोजन पूर्व–संशोधित तथा वर्धित स्टीवडोरिंग प्रभारों के बीच अन्तर के लेखा पर आने वाले राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए पत्तन को समर्थ बनाना है। एमबीपीटी के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए इसके द्वारा परिमाणित रु0 4.88 करोड़ की प्रारंभिक राशि एमएएनएसए के पत्र के अनुसार इसके द्वारा किए जाने वाले वापिसी के लेखा पर वृद्धि की जाएगी। एमबीपीटी ने भी यह दर्शाया है कि इसके बाद वापिसी के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में, यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एमबीपीटी को संबोधित एमएएनएसए के पत्र के अनुसार (जिसकी प्रति हमें पृष्ठांकित की गई थी), यह देखा गया है कि उनके द्वारा एमबीपीटी को कुल राशि रु0 55.72 लाख के भुगतान किए गए प्रभारों की वापसी की मांग की थी। दिया गया है कि एमबीपीटी ने दर्शाया है कि इसके बाद वापसी के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, यह उपयुक्त पाया गया है कि एमबीपीटी द्वारा वसूली की जाने वाली राशि की मात्रा को रु0 5.44 करोड़ (अर्थात् रु0 4.88 करोड़ + रु0 0.5572 करोड़) पर फ्रीज करना उपयुक्त होगा।

उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, रु0 21/– प्रति मी.ट. की पृथक लेवी केवल तब तक जारी रहेगी जब तक एमबीपीटी द्वारा रु0 5.44 करोड़ की राशि वसूल नहीं कर ली जाती है। इस प्रयोजन के लिए, एमबीपीटी को इस लेवी के लिए पृथक खाता व्यवस्थित करने की सलाह दी जाती है।

एमबीपीटी को रु0 5.44 करोड़ की राशि की वसूली के तत्काल बाद स्टील कार्गो पर रु0 21/– प्रति मी.ट. की पृथक लेवी की वसूली इस प्राधिकरण तथा पत्तन उपयोक्ताओं को सूचित करते हुए समाप्त करने की सलाह भी दी गई है।

9. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, यह प्राधिकरण निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान करता है:–

(i) एमबीपीटी द्वारा रु0 5.44 करोड़ की राशि वसूल किए जाने तक 10 जनवरी 2016 को अथवा उसके बाद बर्थिंग वाले पोतों के स्टील कार्गो पर दरमानों में निर्धारित स्टीवडोरिंग प्रभारों के अलावा स्टील कार्गो पर रु0 21/– प्रति मी.ट. के पृथक प्रभार की वसूली।

(ii) एमबीपीटी इस लेवी के लिए पृथक खाता व्यवस्थित करेगा।

(iii) एमबीपीटी रु0 5.44 करोड़ की राशि की वसूली के तत्काल बाद स्टील कार्गो पर रु0 21/– प्रति मी.ट. की पृथक लेवी की वसूली इस प्राधिकरण तथा पत्तन उपयोक्ताओं को सूचित करने के साथ समाप्त कर देगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन– III/4/असा./143/16(40)]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

**NOTIFICATION**

Mumbai,the 21st April, 2016

**No. TAMP/7/2016-MBPT.—** In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for prescription of a special levy to the stevedoring rate of steel cargo, as in the Order appended hereto.

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

Case No. TAMP/7/2016-MBPT

The Mumbai Port Trust - - - Applicant

**QUORUM**

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

**ORDER**

(Passed on this 5th day of April 2016)

This case relates to a proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for prescription of a special levy to the stevedoring rate of steel cargo.

2.1. This Authority had passed an Order No. TAMP/23/2013-MBPT dated 2 January 2015, for notification of the Scale of Rates of MBPT following the Tariff Guidelines of 2005. This Order was notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 19 January 2015 vide Gazette No.19.

2.2. This Authority had granted an increase of 23% in all the charges except Vessel related charges, Licence fees and Warehousing charges. The revised Scale of Rates has come into force after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India, i.e. from 18 February 2015.

3.1. In this backdrop, the MBPT vide its letter dated 5 January 2016 has made the following submissions:

(i). TAMP accorded approval to the revision of SOR of MBPT, vide Gazette Notification No.19 dated 19.01.2015, which included 23% increase in all charges except Vessel Related Charges, License Fees and Stevedoring Charges. The revised SOR came into force on 18.02.2015 after expiry of 30 days from the date of its notification i.e. 19.01.2015.

(ii). TAMP while effecting overall increase of 23% in cargo related charges, had inadvertently left out stevedoring charges at Section 2.18 in Chapter III of SOR. TAMP issued a Corrigendum dated 15.05.2015 rectifying the same in the notified SOR.

(iii). Pursuant to the above Corrigendum passed by TAMP, a Circular dated 05.06.2015 was issued by MBPT to the Trade informing that the revised rates approved by TAMP shall be applicable w.e.f. 18.02.2015.

(iv). After issuance of the Circular dated 05.06.2015 by MBPT, various representations have been received from the Trade regarding applicability of enhanced Stevedoring Charges with retrospective effect.

(v). Mumbai & Nhava-Sheva Ship Agents Association (MANSA) vide letter dated 03.06.2015 also made request to TAMP to give effect to the Stevedoring Charges notified in the Corrigendum dated 15.05.2015 after expiry of 30 days from the date of Notification of the Corrigendum. In reply, the TAMP, vide letter No. TAMP/23/2013/MBPT dated 15.06.2015, has not accepted the MANSA's request.

(vi). The MBPT Board vide TR No.33 dated 13.08.2015 has accorded approval for applicability of revised stevedoring charges to be effective from 18.02.2015 based on TAMP's Order.

(vii). MANSA was informed vide letter No.TM/D/4-3/5875 dated 4 September 2015 about date of applicability of revised stevedoring charges and accordingly the generation and rendering of the bills in this regard was started.

(viii). In the meantime, MANSA vide e-mail letter No. MANSA/MBPT/508/09-2015 dated 5 September 2015, addressed to Chairman, Mumbai Port Trust, has stated that it is not possible for their members to recover the increase in stevedoring rates with retrospective effect, as the vessels normally operate on tramp basis and after the voyage is completed, the same is redelivered to the owners by the operators/ charterers. After completion of the charter, the vessel accounts are settled by the Agents with their Principals, who in turn complete the redelivery formalities and settlement of voyage accounts with the vessel owners. Therefore, to charge an increase in the stevedoring rate with retrospective effect will put the MANSA members to great losses, as they will be unable to recover these amounts from their Principals.

(ix). MANSA has further stated that if the rates are charged prospectively, MBPT will suffer a loss of approximately ₹ 4.88 Crores. In order to make good this loss in revenue, MANSA has proposed to charge a separate levy to the stevedoring rate of steel cargo.

(x). The MANSA in its above e-mail has stated that charging of such additional levy was successfully implemented by MBPT back in 2001, as per the order issued by the TAMP vide their Notification Case No.TAMP/26/2001-MBPT dated 19 September 2001, which was necessitated for recovery of arrears accrued due after the revision of the BDLB workers' wages with retrospective effect, since then private Stevedores were unable to recover from their Principals.

(xi). Considering the above and past traffic conditions, it is proposed to levy ₹.21/- per metric Tonne and applicable Service Tax in addition to the stevedoring charges prescribed in the revised SOR on steel cargo of vessels berthing on or after 10.01.2016 for the period till the shortfall amount of ₹.4.62 Crores is recovered fully. The proposal for above levy has the approval of the Chairman.

(xii). All concerned users have been informed by MBPT, vide circular dated 19.12.2015 regarding levy of ₹.21/- per metric Tonne and applicable Service Tax on steel cargo of vessels berthing on or after 10.01.2016 for the period till the shortfall amount is recovered fully.

(xiii). MANSA has given its consent vide its letter dated 17.12.2015. (MBPT has furnished a copy of the consent letter received by it from MANSA).

(xiv). TAMP is, therefore, requested to approve a levy of ₹.21/- per metric Tonne with effect from 10.01.2016 in addition to the stevedoring charges prescribed in the revised SOR on steel cargo of vessels berthing on or after 10.01.2016 for the period till the shortfall amount of ₹.4.62 Crores is recovered fully. A separate account will be maintained in this regard.

4. While acknowledging the proposal of MBPT, we have vide our letter dated 14 January 2016 requested MBPT to clarify some points. The MBPT vide its letter dated 29 January 2016 has replied to the queries. A summary of the points raised by us and the response of the MBPT thereon are tabulated below:

| Sl. No. | Clarification sought by us | Response of MBPT |
|---|---|---|
| (i) | The reason for proposing the special levy on steel cargo alone to be furnished. | Steel cargo is the major cargo handled by stevedores at MBPT. Its share in the total traffic handled by stevedores in the year 2014-15 is about 72% and in the period 01.04.2015 to 31.08.2015, it is 84%. In view of above and for ease of administration, the levy was proposed on steel cargo only. |
| (ii) | Detailed workings to arrive at the proposed levy of ₹. 21/- per MT, to be furnished. | During the period from 01.04.2015 to 31.08.2015, MBPT stevedores handled 22,31,015 MT of iron |

| | | |
|---|---|---|
| | | and steel cargo out of the Total cargo, i.e. at an average of 4,46,203 MT per month.<br>To recover the balance amount of ₹.4.62 crores in 5 months from 01.11.2015 to 31.03.2016 (as proposed to recover from 01.11.2015 when calculated) considering above average traffic of iron and steel cargo, a levy works out to ₹.21 per MT. |
| (iii) | Proposed draft Scale of Rates to be incorporated in the existing Scale of Rates of MBPT, to be furnished. | Above referred levy is temporary in nature and will be discontinued after the collection of the shortfall amount ₹. 4.62 crores.<br>If it is to be incorporated in the SOR. Following is the proposed draft note to be inserted under Schedule of 2.18 of charges for providing on Board Stevedoring Services.<br>"A levy of ₹..21/- per Metric Tonne shall be levied on iron and steel cargo in addition to the stevedoring charges prescribed in the SOR with effect from 10.01.2016". |

5. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the MBPT proposal dated 05 January 2016 was forwarded to the concerned users/ user organisations seeking their comments. Some of the users / user organisations have furnished their comments, which were forwarded to MBPT as feedback information on various dates. The MBPT has responded to the comments of the users/ user organisations.

6.1. A joint hearing on the case in reference was held on 10 March 2016 at the Office of this Authority. At the joint hearing, the MBPT made a brief power point presentation on the proposal. At the joint hearing, the users/ user organisations and the MBPT have made their submissions.

6.2. As decided at the joint hearing, the MANSA was requested vide our letter dated 15 March 2016 to furnish a Note with reference to the issue of payment made by some of its members under protest to MBPT on account of the subject levy, to MBPT with a copy endorsed to us. The MBPT was also requested vide our letter dated 15 March 2016 to furnish its comments on the points to be made by MANSA.

6.3. Accordingly, the MANSA vide its letter dated 16 March 2016 has furnished the copies of the request letters sent by the Ship Agents to MBPT seeking refund of the charges paid by them. From the letter of MANSA, it is seen that 5 parties have sent letter to MBPT, for an aggregate amount of ₹. 55,71,804/-. In view of the pending receipt of more such applications, the MANSA has also requested to sanction the refund in general terms to all Ship agents, subject to their applications for refund accordingly, so as to enable MBPT to process admissible refunds, in the event some of the members missed the opportunity inadvertently.

6.4. In this context, after a reminder, the MBPT vide its letter dated 29 March 2016 has made the following submissions:

(a). The issue of refund has been examined and orders have been issued to refund the differential payment excluding service tax amount initially, in respect of request forwarded by MANSA by the above referred letter. The refund of Service Tax can be made only after refund from Service Tax Authority.

(b). Due to the refund now being processed the deficit to be recovered stands increased to that extent. The exact amount of deficit would be known only after due process of audit and refund. Till the total recovery is effected the levy will continue.

(c). Therefore, TAMP may issue appropriate orders immediately and also request for refund hereinafter will not be considered.

7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in

8. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

(i) This Authority in its Order of January 2015 had taken a decision to grant an across the board increase of 23% in the Cargo related charges. Vide the said Order, the Stevedoring activity had also been covered for grant of 23% increase. Therefore, an increase of 23% ought to have been given in the Stevedoring charges prescribed in the Scale of Rates of MBPT. However, in the Scale of Rates of MBPT, since no increase was granted in the then prevailing Vessel related charges and given that the Stevedoring charges (Section 2.18) were prescribed in the Chapter- II dealing with the Vessel related charges, the tariff entry relating to the Stevedoring charges was inadvertently not amended with 23% increase. Since the relevant entry in the Scale of Rates was not amended in the order of January 2015, a Corrigendum dated 15 May 2015 was issued giving effect to the decision of this Authority. This Corrigendum was notified in the Gazette of India on 25 May 2015.

(ii) Subsequent to notification of the Corrigendum, Mumbai & Nhava-Sheva Ship Agents Association (MANSA), on the ground that increase in the stevedoring rate with retrospective effect will put its members to great losses, as they will be unable to recover these amounts from their Principals after settlement, requested MBPT to implement the Corrigendum prospectively. To make good for the loss in revenue of MBPT, the MANSA has agreed for levy of a separate charge.

(iii) Accordingly, the MBPT has come up with a proposal to enable it levy a rate of ₹.21/- per MT, in addition to the stevedoring charges prescribed in the revised Scale of Rates, on steel cargo. Simultaneously, the MBPT has issued a Circular dated 19 December 2015 to all users stating that a levy of ₹.21/- per MT and applicable service tax and cess will be charged in addition to the stevedoring charges prescribed in the revised Scale of Rates on steel cargo of vessels berthing on or after 10 January 2016 for the period till the shortfall amount is recovered fully.

(iv) Since Steel cargo is reported to be the major cargo handled by stevedores at MBPT (about 80%), the MBPT has proposed to impose the separate levy on steel cargo only for ease of administration. Further, taking into account the quantum of short recovery on account of difference between the pre-revised and increased stevedoring charges reported to the tune of ₹ 4.88 crores and the average monthly traffic of steel cargo handled by stevedores and by proposing to recover the amount over a period of 5 months, the MBPT has arrived at the per tonne rate of ₹. 21/- per MT.

(v) Though the MANSA has given its consent to the proposed levy of ₹. 21/- per MT, the other user Associations viz., Brihanmumbai Custom House Agents' Association (BCHAA) and Federation of Indian Export Organisation (FIEO) have objected to the proposal of MBPT, on the ground that the proposed levy is to enable the port to recover the past losses. The FIEO has requested this Authority to discourage retrospective effect. In this regard, it is relevant to mention here that the decision to increase the Stevedoring Charges by 23% had already been taken by this Authority in the January 2015 Order itself, based on the cost position of MBPT. Had the increase in Stevedoring charges been incorporated in the Scale of Rates of MBPT notified on 19 January 2015, it would have come into effect from the effective date of implementation of the revised Scale of Rates of MBPT i.e. 18 February 2015. Vide the said Corrigendum, the omission that had occurred in the Scale of Rates notified on 19 January 2015 was only restored. However, in view of the inability expressed by the users over recovery of charges retrospectively, the MBPT has come up with a proposal to enable it levy a separate charges prospectively for a limited time to make good for the loss of revenue arising due to non-prescription of 23% increased stevedoring charges. Thus, the proposed levy is not to enable the port to recover its past losses as stated by BCHAA and FIEO, but only to enable the MBPT recover the amount which is rightly due to it, as already decided in the general revision Order passed in January 2015.

Ordinarily, tariff fixation orders are enforced only prospectively. Giving retrospective operation to such orders will create (avoidable) complications, besides causing an accounting chaos. The stated policy of this Authority, as stipulated in Tariff Guidelines issued by the Government, is also, therefore, not to give any retrospective effect unless there are special circumstances warranting deviation from the stated policy.

(vi) As brought out by MBPT in its proposal, there is a precedence in the past in this context, wherein this Authority vide tariff Order no. TAMP/26/2001-MBPT dated 19 September 2001 had authorised MBPT to charge a 'special rate' on certain types of cargo on board, for the vessels berthed on or after 01 September 2001, in order to enable MBPT to recover the arrears of wages of the MBPT's supervisory staff and workers, who were on deputation with the Stevedores. A separate fund was to be maintained with regard to the special charge and the levy was to continue till such time an amount of ₹. 17.50 crores was recovered towards payment of arrears and it was to cease thereafter. In August 2003, the MBPT had informed that on collection of the total amount of ₹.17.50 crores, the levy of special rates has been discontinued with due intimation to the port users.

(vii) Thus, taking cue from the precedence available in the past, this Authority is inclined to approve a separate levy of ₹. 21/- per MT to be levied on steel cargo in addition to the stevedoring charges prescribed in the revised Scale of Rates on steel cargo of vessels berthing on or after 10 January 2016 for the period till the shortfall amount is recovered fully.

(viii) With regard to the shortfall amount to be recovered, the MBPT as well as MANSA have indicated the amount at about ₹.4.88 crores. Subsequently, during the joint hearing, MANSA has indicated about few of its members having made the payment to MBPT under protest and have requested for refund of the said amount to relevant users. Owing to the MBPT giving refund to the users who have made the payment to MBPT under protest, the MBPT in its latest communication has stated that since the shortfall to be recovered has increased to the extent of the refunds to be made to the users, the exact amount of shortfall would be known only after due process of audit and refund. In view of this position, the MBPT has indicated that the levy will continue till the total recovery is affected.

Any special levy to be charged should be prescribed for a definite period till the purpose for which the special levy is prescribed, is achieved. In the case in reference, the purpose of the special levy is to enable the port to meet the shortfall in revenue arising on account of difference between the pre-revised and increased stevedoring charges. According to MBPT, the initial amount of ₹.4.88 crores quantified

by it for the purpose would increase on account of the refund to be made by it as per the letter of MANSA. The MBPT has also indicated that it would not consider the request for refund hereinafter. In this regard, it is relevant to mention here that as per the letter of MANSA addressed to MBPT (a copy of which was endorsed to us), it is seen that 5 parties have sought refund of the charges paid by them to MBPT for an aggregate amount of ₹. 55.72 lakhs. Given that the MBPT has indicated that it would not consider the request for refund hereinafter, it is found appropriate to freeze the quantum of amount to be recovered by MBPT at ₹. 5.44 crores (i.e. ₹. 4.88 crores + ₹. 0.5572 crores).

In view of the above position, the separate levy of ₹. 21/- per MT will continue only till such time that a sum of ₹. 5.44 crores is recovered by MBPT. For the purpose, the MBPT is advised to maintain a separate account for this levy. The MBPT is also advised to discontinue the levy of the separate levy of ₹. 21/- per MT on steel cargo, immediately on recovery of the amount of ₹. 5.44 crores with due intimation to this Authority and the port users.

9. In view of the above position, this Authority accords approval for the following:

(i) Levy of a separate charge of ₹. 21/- per MT on steel cargo in addition to the stevedoring charges prescribed in the Scale of Rates on steel cargo of vessels berthing on or after 10 January 2016 till such time the sum of ₹. 5.44 crores is recovered by MBPT.

(ii) The MBPT will maintain a separate account for this levy.

(iii) The MBPT would discontinue the levy of the separate levy of ₹. 21/- per MT on steel cargo, immediately on recovery of the amount of ₹.5.44 crores with due intimation to this Authority and the port users.

T.S. BALASUBRAMANIAN**,** Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/16(40)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.